राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 246/2022

1. छैलूराम पुत्र श्री हरसुख
2. जय सिंह पुत्र मोहरूराम
   जाति गुर्जर निवासी ग्राम टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. नाबालिग प्रदीप पुत्र प्रहलाद संरक्षक पिता प्रहलाद
2. नाबालिग योगेश पुत्र प्रहलाद संरक्षक पिता प्रहलाद
   1 लगायत 2 समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: **दिनांक 28–10–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बसई तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या नया 91 में दर्ज खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है., ख.नं. 516 रकबा 0.11 है., ख.नं. 521 रकबा 0.97 है., ख.नं. 555 रकबा 0.45 है., ख.नं. 831/521 रकबा 0.03 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.81 है. की भूमि में प्रार्थी सं. 1 हिस्सा 1/6 का तथा प्रार्थी सं. 2 हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण मौके पर खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। ग्राम बसई स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या नया 377 में दर्ज खसरा नंबर 470 रकबा 0.51 है., ख.नं. 471 रकबा 0.73 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 है. की भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर खसरा नंबर 470 रकबा 0.51 है. की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी के खेत ग्राम बसई स्थित खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. भूमि में जाने के लिए बसई से निजामपुर जाने वाली मुख्य सड़क से दक्षिणी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 0.51 है. की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. तक जाने के लिए रास्ता चालू है उसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्णित रास्ते को नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी का यह रास्ता कदीम से प्रार्थी के आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:44:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ले जाने के काम में आता रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व बसई से निजामपुर जाने वाली मुख्य सड़क से सबसे कम दूरी का है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए या भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 इंकार हो गये जबकि उक्त रास्ता प्रार्थी के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यही से ही उपयुक्त रास्ता सम्भव है जो सबसे छोटा व बसई से निजामपुर जाने वाली मुख्य सड़क से सबसे कम दूरी का है। इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ग्राम बसई स्थित खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. भूमि में जाने के लिए बसई से निजामपुर जाने वाली मुख्य सड़क से दक्षिणी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 0.51 है. की पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे प्रार्थी के खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. तक जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा कथन किया है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निराधार है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 521 की दक्षिणी भाग में मेड़ के सहारे पुख्ता मकान बनाकर आबाद है वहीं पर कुआ ख.नं. 821/521 है उनके खेत व मकान एवं कुए तक कटानी रास्ता करीब 15-16 फुट का वर्तमान में चालू हालत में है प्रार्थीगण का आवेदन पत्र धारा 251(क) के तहत पोषणीय नहीं है प्रार्थीगण खेतड़ी निजामपुर एम.डी.आर. (जिलारोड़) से सीधा रास्ता लेकर अपनी भूमि ख.नं. 468 को कॉमर्शियल उपयोग में लेना चाहते हैं उनका उद्देश्य कृषि करना नहीं है। अतः आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/755 दिनांक 03.08.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :-

1. आवेदन को प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा केवल जोत एवं सुविधाजन उपयोग के लिए नहीं है।
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. रास्ता 30 फुट से अनाधिक चौड़ा है तथा प्रस्तावित रा[illegible] के [illegible]म बिन्दु से आवेदक की भूमि तक रास्ते का सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में किया गया है। यह प्रस्तावित मार्ग निकटतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 68m x [illegible]m = 272 वर्गमीटर है जिसकी डी.एल.सी. 34365/-रूपये है जिसकी दुगुनी राशि रू. 68730/- बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवारा की मूल मौका रिपोर्ट एवं भू–प्रबन्ध विभाग–सीकर का नक्शा सर्वे सन् 1979–80 संवत् 2037 ग्राम वसई संलग्न कर भिजवाये है जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 91 व खाता सं. 377 ग्राम वसई, नकल आंशिक नक्शा किश्तवार ग्राम वसई सन् 1979–80, प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा पेश किये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवारा का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.08.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक मेहाड़ा जाटूवास में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 468 ग्राम वसई में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 470 ग्राम वसई में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 272 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 468 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 03–08–2022 के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम वसई तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 468 रकबा 0.25 है. में जाने के लिए मुख्य सड़क ग्राम वसई से निजामपुर से ग्राम वसई स्थिति भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 0.51 है. की पश्चिमी दिशा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 468 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.नं. 470 रकबा 0.51 है. मे सें 68x4=272 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 272 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 68,730/–रू. (अक्षरे अड़सठ हजार सात सौ तीस रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 470 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 68,730/– नियमानुसार अदा करेंगें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 470 के रकबे में से रास्ते की बाबत 272 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगें।

यह निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:15 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी